

न्यायालय : अति० व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1 गोहद जिला भिण्ड, मध्यप्रदेश
(समक्ष-प्रतिष्ठा अवस्थी)

व्यवहारवाद क्रमांक : 156ए/2015

संस्थित दिनांक : 24.06.2014

फाइलिंग नंबर : 230303007922011

- 1-जवाहरसिंह आयु 60 वर्ष
- 2-रमेशसिंह आयु 55 वर्ष पुत्रगण पंचमसिंह
जाति जाट ठाकुर धंधा खेती
- 3-उदयभानसिंह आयु 55 वर्ष
- 4-मोहनसिंह आयु 50 वर्ष
- 5-धमेन्द्रसिंह आयु 45 वर्ष पुत्रगण
कलियानसिंह धंधा खेती जाति जाट ठाकुर
निवासीगण ग्राम जनकपुरा परगना गोहद
जिला भिण्ड म.प्र.

— वादीगण

बनाम

- 1-जयेन्द्रसिंह आयु 65 वर्ष
- 2-विजेन्द्रसिंह आयु 50 वर्ष पुत्रगण धांधूसिंह
जाति जाट ठाकुर, धंधा खेती निवासीगण ग्राम
जनकपुरा परगना गोहद जिला भिण्ड म.प्र.
- 3-रामसेवक पुत्र धांधूसिंह आयु 60 वर्ष कौम
जाट ठाकुर धंधा खेती निवासी ग्राम इकाहारा
परगना डबरा जिला ग्वालियर
- 4-नरेन्द्रसिंह आयु 50 वर्ष
- 5-राजेन्द्रसिंह उर्फ पप्पू आयु 43 वर्ष
- 6-शैलेन्द्रसिंह आयु 40 वर्ष पुत्रगण पूरनसिंह
जाति जाट ठाकुर धंधा खेती निवासीगण ग्राम
इकाहारा परगना डबरा जिला ग्वालियर म.प्र.

— प्रतिवादीगण

(वादी द्वारा-अधिवक्ता श्री जी०एस० गुर्जर)

(प्रतिवादी क्रमांक 1 व 2 द्वारा अधिवक्ता श्री के०के० शुक्ला)

(प्रतिवादी क्रमांक 4, 5 एवं 6 पूर्व से एकपक्षीय)

निर्णय

(आज दिनांक 27-09-2017 को घोषित)

वादी द्वारा यह वाद प्रतिवादीगण के विरुद्ध ग्राम जनकपुरा परगना गोहद में स्थित वादग्रस्त हवेली की स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने हेतु प्रस्तुत किया गया है।

2. संक्षेप में वादपत्र इस प्रकार है कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण ग्राम जनकपुरा तहसील गोहद के निवासी हैं तथा वादीगण एवं प्रतिवादीगण की शामलाती हवेली ग्राम जनकपुरा में स्थित है जोकि पूर्वजों की बनवाई हुई है एवं पूर्वजों के आगे ही उक्त हवेली का बंटवारा हो चुका है। वादीगण के पूर्वज गणेशसिंह के तीन पुत्र धांधूसिंह, पंचमसिंह एवं कल्याणसिंह थे। गणेशसिंह, धांधूसिंह, पंचमसिंह तथा कल्याणसिंह की मृत्यु हो चुकी है। वादी क्रमांक 1 एवं 2 पंचमसिंह के पुत्र होकर उनके वारिस हैं। वादी क्रमांक 3 लगायत 5 कल्याणसिंह के पुत्र हैं एवं प्रतिवादी क्रमांक 1 लगायत 3 धांधूसिंह के पुत्र हैं तथा प्रतिवादी क्रमांक 4 लगायत 6 धांधूसिंह के मृत पुत्र पूरनसिंह के पुत्र हैं। वादग्रस्त हवेली का नक्शा वादपत्र के साथ संलग्न है उक्त नक्शे में धांधूसिंह के नाम से दर्शित भाग प्रतिवादी क्रमांक 1 एवं 2 का एवं पंचमसिंह के नाम से दर्शित भाग वादी क्रमांक 1 व 2 कल्याणसिंह के नाम से दर्शित भाग प्रतिवादी क्रमांक 3 लगायत 5 का है पूरी हवेली को नक्शे में अ.ब.स.द से दर्शाया गया है। हवेली में आने जाने का रास्ता एक ही है जिससे होकर वादी एवं प्रतिवादीगण निकलते हैं। नक्शे में रास्ते को लाल रेखाओं से दर्शाया गया है रास्ता पूर्व से पश्चिम 15 फुट चौड़ा तथा उत्तर से दक्षिण मुख्य रोड से हवेली के गेट तक 60 फुट लंबा है। हवेली के मुख्य दरवाजे को जी अंक से एवं मुख्य पोर के दरवाजे को पी चिन्ह से अंकित किया गया है। प्रतिवादी क्रमांक 3 लगायत 6 लगभग 40 वर्ष पूर्व अपना हिस्सा प्रतिवादी क्रमांक 1 व 2 को देकर ग्राम इकाहारा तहसील गोहद में रहने लगे थे तथा धांधूसिंह का भाग प्रतिवादी क्रमांक 1 एवं 2 के पास है तथा पंचमसिंह का भाग प्रतिवादी क्रमांक 1 व 2 एवं कल्याणसिंह का भाग प्रतिवादी क्रमांक 3 लगायत 5 के कब्जे में है। वादग्रस्त हवेली का बंटवारा हो चुका है एवं सभी हवेली में बंटवारा अनुसार काबिज हैं। हवेली में पानी के निकास का एक ही रास्ता है जिससे होकर पूरी हवेली का पानी निकलता है जिसे वादपत्र के साथ संलग्न नक्शे में च.छ.ज.झ से दर्शाया गया है। वादपत्र के साथ संलग्न मानचित्र में दर्शित मुख्य द्वार जहां से चौक प्रारंभ होता है 15 फीट चौड़ा रास्ता वादी एवं प्रतिवादीगण का शामलाती है। हवेली के मुख्य गेट के पास प्रतिवादी क्रमांक 1 व 2 का हिस्सा है इसलिए प्रतिवादी क्रमांक 1 व 2 की नीयत में बदनियती आ गयी है एवं वह हवेली में पी स्थान पर फाटक लगाना चाहते हैं एवं पी तथा जी स्थान के मध्य की समस्त जगह को अपने एकल बर्ताव में लेना चाहते हैं एवं प्रतिवादीगण द्वारा पी स्थान पर फाटक लगा दिया गया तो वादीगण का हवेली में आवागमन रूक जायेगा एवं वादीगण के कब्जा बर्ताव में व्यवधान पैदा होगा। प्रतिवादीगण को पी स्थान पर गेट लगाने का कोई अधिकार नहीं है। वादपत्र के साथ संलग्न मानचित्र में दर्शित च.छ.ज.झ से चिह्नित जगह से पूरी हवेली के पानी के निकास का नाल है इस नाले तक प्रतिवादी क्रमांक 1 एवं 2 ने पत्थर रख दिया है प्रतिवादीगण ने अपने भाग के पानी के निकास के लिए एक अलग परनाला बनाया है एवं वह पुराने परनाले को बंद करना चाहते हैं। हवेली के सामने उत्तर दिशा की तरफ मुख्य

सडक है सडक के बाद वादी एवं प्रतिवादी क्रमांक 1 एवं 2 के खलिहान है पहले खलिहान प्रतिवादी क्रमांक 1 एवं 2 का पड़ता है उसके बाद वादीगण का खलिहान है प्रतिवादी क्रमांक 1 ने वादी के खलिहान का रास्ता रोकना भी शुरू कर दिया है। दिनांक 14.06.14 को प्रतिवादीगण ने पी स्थान पर नापतौल करना प्रारंभ कर दिया था तथा परनाले में च,छ,ज,झ में से छ और ज के मध्य पत्थर रखना प्रारंभ कर दिया था। वादीगण द्वारा मना करने पर प्रतिवादीगण ने उनसे कहा था कि हम तुम्हें यहां नहीं रहने देंगे। प्रतिवादीगण विवाद करने पर आमादा हो गये थे। अतः वाद प्रस्तुत कर वादीगण का निवेदन है कि वादीगण के पक्ष में यह स्थायी निषेधाज्ञा पारित की जावे कि प्रतिवादी क्रमांक 1 एवं 2 वादपत्र के साथ संलग्न नक्शे में पी स्थान पर या अन्य किसी स्थान पर फाटक लगाकर हवेली में आवागमन का मार्ग अवरुद्ध न करें एवं परनाला के बर्ताव में कोई बाधा उत्पन्न न करें।

3. प्रतिवादी क्रमांक 01 व 2 द्वारा वादपत्र का खण्डन करते हुए उत्तर वादपत्र प्रस्तुत कर अभिवचनित किया गया है कि वादीगण द्वारा असत्य आधार पर वाद प्रस्तुत किया गया है। वादी जवाहर सिंह एवं रमेशसिंह के पिता पंचमसिंह तथा वादी उदयभानसिंह, मोहनसिंह, एवं धर्मेन्द्रसिंह के पिता कल्याणसिंह ने दिनांक 23.12.85 एवं दिनांक 20.02.87 को विवादित मकान में अपना हिस्सा प्रतिवादी क्रमांक 1 एवं 2 को बिक्री कर कब्जा सौंप दिया था बिक्री दिनांक से वादीगण का विवादित मकान पर कोई हिस्सा शेष नहीं बचा है। बंटवारा विक्रय पत्र निष्पादित होने के पूर्व हुआ था। वादग्रस्त हवेली में वादीगण का कोई हिस्सा शेष नहीं है। हवेली में फाटक पूर्वजों के समय से ही लगा हुआ है इसलिए प्रतिवादीगण द्वारा फाटक बंद किए जाने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है। प्रतिवादी क्रमांक 3 लगायत 6 अपना हिस्सा प्रतिवादी क्रमांक 1 एवं 2 को देकर ग्राम इकाहारा चले गये थे लेकिन उनका हिस्सा विवादित हवेली में अभी तक है जिसका विधिवत बंटवारा नहीं हुआ है। हवेली का मुख्य दरवाजा उत्तर दिशा में है वादी एवं प्रतिवादीगण के निकास का एक ही रास्ता है। वादीगण द्वारा 15 फीट चौड़ा रास्ता गलत वर्णित किया गया है उक्त रास्ता मात्र 3-4 फीट चौड़ा है एवं वादीगण तथा प्रतिवादीगण के पशुओं के निकलने के लिए शामलाती रास्ता है। चौक के पूर्व दिशा की ओर वादीगण का परनाला नहीं है। प्रतिवादीगण अपने हिस्से की पैतृक हवेली पर काबिज हैं हवेली में च,छ,ज,झ जगह पर पानी का निकास नहीं है। वादीगण के पूर्वज अपने हिस्से की जमीन का विक्रय पूर्व में ही प्रतिवादीगण को कर चुके हैं। वादीगण द्वारा असत्य आधारों पर वाद प्रस्तुत किया गया है जो निरस्ती योग्य है।

4. यह उल्लेखनीय है कि प्रकरण में प्रतिवादी क्रमांक 04, 5, 6 के तामील उपरांत उपस्थित न होने से उनके विरुद्ध प्रकरण में एकपक्षीय कार्यवाही की गयी है।

5. उपरोक्त अभिवचनों के अवलोकन से निम्नलिखित वाद प्रश्न विरचित किये गये हैं जिनके सम्मुख मेरे निष्कर्ष अंकित है।

वाद प्रश्न

निष्कर्ष

1. क्या वादी क्रमांक 01 व 2 ग्राम जनकपुरा में स्थित वादग्रस्त हवेली में संलग्न मानचित्र के अनुसार पंचमसिंह के भाग के एवं वादी क्रमांक 03 लगायत 05 कल्याणसिंह के भाग के आधिपत्यधारी हैं ?

2. क्या वादीगण को वादग्रस्त हवेली में

वादपत्र के साथ संलग्न मानचित्र के अनुसार पी स्थान से आवागमन का अधिकार प्राप्त है ?

3. क्या प्रतिवादीगण द्वारा वादग्रस्त हवेली में पी स्थान पर फाटक लगाकर वादीगण का वादग्रस्त हवेली में आवागमन अवरुद्ध किया जा रहा है।

4. क्या प्रतिवादीगण द्वारा वादग्रस्त हवेली में पानी का निकास रोककर वादीगण को वादग्रस्त हवेली के उपयोग एवं उपभोग में बाधा उत्पन्न की जा रही है ?

5. क्या वादीगण स्थाई निषेधाज्ञा की सहायता प्राप्त करने के अधिकारी हैं ?

6. क्या वादीगण द्वारा वाद का उचित मूल्यांकन कर पर्याप्त न्यायशुल्क अदा किया गया है ?

7. सहायता एवं व्यय?

निष्कर्ष एवं निष्कर्ष के कारण

वाद प्रश्न क्रमांक-1 एवं 2

6. साक्ष्य की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए उक्त दोनों वादप्रश्नों का निराकरण एक साथ किया जा रहा है।

7. उक्त वादप्रश्नों के संबंध में वादी जवाहरसिंह वा0सा01 द्वारा अपने वादपत्र एवं शपथपत्र में यह अभिवचनित किया गया है कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण की शामिलती हवेली ग्राम जनकपुरा परगना गोहद में स्थित है जो वादीगण एवं प्रतिवादीगण के पूर्वजों द्वारा बनवाई गयी है जिसका पूर्वजों के आगे ही बंटवारा हो गया था एवं वादी एवं प्रतिवादीगण बंटवारे अनुसार हवेली में अपने-अपने हिस्से पर निवास करते चले आ रहे हैं। वादी के बाबा गणेशसिंह के तीन लडके धांधूसिंह पंचमसिंह एवं कल्याणसिंह थे। गणेशसिंह एवं उनके तीनों लडके धांधूसिंह पंचमसिंह एवं कल्याणसिंह की मृत्यु हो चुकी है। हवेली का जो हिस्सा धांधूसिंह का था वही हिस्सा प्रतिवादी क्रमांक 1 जयेन्द्रसिंह एवं प्रतिवादी क्रमांक 2 बिजेन्द्रसिंह तथा प्रतिवादी क्रमांक 3 रामसेवक का है एवं पंचमसिंह का भाग उसका एवं उसके छोटे भाई रमेश का है तथा कल्याणसिंह के हिस्सा वाले भाग पर उदयभानसिंह, मोहनसिंह तथा धर्मेन्द्रसिंह काबिज है। वादीगण एवं प्रतिवादीगण के निकास का एक ही रास्ता है जिसे वादपत्र के साथ संलग्न मानचित्र में लाल रेखाओं से दर्शाया गया है उक्त रास्ता 15 फुट चौड़ा एवं 60 फुट लंबा है। हवेली के अंदर प्रवेश करने का एक ही रास्ता है एवं उसी रास्ते से वादी एवं प्रतिवादीगण आवागमन करते हैं। हवेली के पानी का निकास पूर्व दिशा की तरफ बने परनाले से होता है। उक्त परनाला पंचमसिंह के भाग एवं धांधू के भाग के बीच में से होकर गया है जहां से होकर पूरी हवेली का पानी निकलता है। प्रतिवादीगण हवेली के रास्ते में गेट लगाकर वादीगण के आवागमन में व्यवधान पैदा करना चाहते हैं। प्रतिपरीक्षण के पद क्रमांक 10 में उक्त साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि विवादित हवेली में वह तथा

प्रतिवादीगण अपने-अपने हिस्से पर निवास कर रहे हैं एवं यह भी स्वीकार किया है कि पंचमसिंह द्वारा दिनांक 23.12.85 को एवं कल्याणसिंह द्वारा दिनांक 20.02.87 को प्रतिवादीगण को जगह बेची गयी थी तथा स्पष्ट किया है कि मकान के बाहर की जगह बेची थी मकान की जगह नहीं बेची थी।

8. वादी साक्षी हाकिमसिंह वा0सा02, मुन्नीदेवी वा0सा03 तथा राजेन्द्रसिंह वा0सा04 द्वारा भी वादी के अभिवचनों के समर्थन में साक्ष्य दी गयी है।

9. प्रतिवादी बृजेन्द्रसिंह प्र0सा01 ने वादी के अभिवचनों का खण्डन करते हुए अभिवचनित किया है कि वादी जवाहरसिंह एवं रमेशसिंह के पिता पंचमसिंह तथा उदयभान, मोहनसिंह, एवं धर्मेन्द्र के पिता कल्याण ने दिनांक 23.12.85 एवं दिनांक 20.02.87 को अपना हिस्सा उन्हें दे दिया था विक्रय दिनांक से वादीगण का विवादित मकान में कोई हिस्सा नहीं है बंटवारा विक्रय के पूर्व हो गया था। वादीगण के पूर्वजों द्वारा विक्रय पत्र किए जाने के पश्चात विवादित जगह पर वादीगण का कोई हिस्सा शेष नहीं है। हवेली का मुख्य दरवाजा उत्तर दिशा में है जिसमें से होकर दोनों पक्ष आवागमन करते हैं। विवादित हवेली में आगे की ओर वादीगण का कोई हिस्सा नहीं है वादीगण विवादित हवेली के पीछे के हिस्से में निवास करते हैं। प्रतिपरीक्षण के पद क्रमांक 5 में उक्त साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि घरेलू बंटवारे के अनुसार पंचमसिंह को हवेली में पीछे का हिस्सा मिला था एवं निकास उत्तर दिशा की तरफ ही रहा था। पद क्रमांक 6 में उक्त साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि विवादित हवेली में पश्चिम दिशा की तरफ कल्याण का हिस्सा है। उक्त साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि वादीगण पंचमसिंह के लड़के एवं कल्याणसिंह के लड़कों का आवागमन उत्तर दिशा की तरफ स्थित दरवाजे से होता है।

10. तर्क के दौरान वादीगण अधिवक्ता द्वारा यह व्यक्त किया गया है कि विवादित हवेली में संलग्न मानचित्र के अनुसार वादीगण निवासरत हैं। प्रतिवादीगण अधिवक्ता द्वारा तर्क के दौरान यह व्यक्त किया गया है कि वादीगण के पूर्वजों द्वारा विवादित हवेली में अपना हिस्सा उन्हें विक्रय कर दिया गया है।

11. प्रस्तुत प्रकरण में वादी जवाहरसिंह वा0सा01 द्वारा अपने वादपत्र एवं शपथपत्र में यह अभिवचनित किया गया है कि ग्राम जनकपुरा में वादीगण एवं प्रतिवादीगण की शामिलती हवेली स्थित है। उक्त हवेली को वादीगण के पूर्वजों द्वारा बनवाया गया था जिसमें वादी एवं प्रतिवादीगण वादपत्र के साथ संलग्न मानचित्र के अनुसार काबिज हैं। उक्त साक्षी द्वारा यह भी व्यक्त किया गया है कि उसके पूर्वज गणेशसिंह के तीन लड़के धांधूसिंह, पंचमसिंह एवं कल्याणसिंह थे। गणेशसिंह एवं धांधूसिंह, पंचमसिंह तथा कल्याणसिंह की मृत्यु हो चुकी है। वादी क्रमांक 1 व 2 पंचमसिंह के पुत्र होकर पंचमसिंह के वारिस हैं एवं वादी क्रमांक 3, 4 एवं 5 कल्याणसिंह के पुत्र होकर कल्याणसिंह के वारिस हैं तथा विवादित हवेली में जो भाग पंचमसिंह का था उस पर वादी क्रमांक 1 एवं 2 काबिज हैं तथा जो भाग कल्याणसिंह का था उस पर वादी क्रमांक 3 लगायत 5 काबिज हैं। इस प्रकार वादी जवाहरसिंह वा0सा01 ने वादग्रस्त हवेली पर संलग्न मानचित्र के अनुसार काबिज होना बताया है। उक्त साक्षी द्वारा यह व्यक्त किया गया है कि बंटवारे के अनुसार बंटवारे में पंचमसिंह एवं कल्याणसिंह को विवादित हवेली का पीछे का हिस्सा मिला था एवं वादीगण अपने हिस्से अनुसार वादग्रस्त हवेली पर काबिज हैं।

12. प्रतिवादी बृजेन्द्रसिंह प्र0सा01 द्वारा यह व्यक्त किया गया है कि वादी क्रमांक 1 एवं 2 के पिता पंचमसिंह एवं वादी क्रमांक 3 लगायत 5 के पिता

कल्याणसिंह द्वारा अपना-अपना हिस्सा विक्रय पत्र दिनांक 23.12.85 को एवं 20.02.87 द्वारा उन्हें बिक्रीत कर दिया गया था एवं विवादित मकान में वादीगण का कोई हिस्सा शेष नहीं है परन्तु प्रतिवादीगण द्वारा उक्त संबंध में विक्रय पत्र दिनांक 23.12.85 एवं 20.02.87 अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं किया गया है। वादी जवाहर सिंह वा0सा01 ने अपने प्रतिपरीक्षण के दौरान यह तो स्वीकार किया है कि पंचमसिंह एवं कल्याणसिंह ने प्रतिवादीगण को जगह बेची थी परन्तु यह भी स्पष्ट किया है कि मकान के बाहर की जगह बेची थी। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि प्रतिवादी बृजेन्द्रसिंह प्र0सा01 ने अपने शपथपत्र के पद क्रमांक 1 एवं 2 में यह व्यक्त किया है कि विवादित मकान में वादीगण का कोई हिस्सा शेष नहीं है परन्तु शपथपत्र के पद क्रमांक 3 में उक्त साक्षी द्वारा यह व्यक्त किया गया है कि वादीगण विवादित हवेली में प्रतिवादीगण के हिस्से के पीछे की ओर निवास करते हैं तथा प्रतिपरीक्षण के दौरान भी यह स्वीकार किया गया है कि विवादित हवेली में पीछे की ओर पंचमसिंह का हिस्सा था एवं यह भी स्वीकार किया है कि विवादित हवेली में पश्चिम दिशा की तरफ कल्याण का हिस्सा है।

13. इस प्रकार प्रतिवादी बृजेन्द्रसिंह प्र0सा01 द्वारा भी अपने प्रतिपरीक्षण के दौरान यह स्वीकार किया गया है कि विवादित हवेली में पीछे की ओर पंचमसिंह एवं कल्याणसिंह का हिस्सा है तथा आगे की ओर उनका हिस्सा है। वादी जवाहरसिंह वा0सा01 द्वारा यह भी अभिवचनित किया गया है कि विवादित हवेली का मुख्य निकास उत्तर दिशा की तरफ है जहां से वादीगण एवं प्रतिवादीगण आवागमन करते हैं। प्रतिवादी बृजेन्द्रसिंह प्र0सा01 ने भी यह व्यक्त किया है कि हवेली का मुख्य द्वार उत्तर दिशा की तरफ है जिससे होकर दोनों पक्ष आवागमन करते हैं। प्रतिपरीक्षण के दौरान भी उक्त साक्षी द्वारा यह स्वीकार किया गया है कि वादीगण का आवागमन उत्तर दिशा की तरफ स्थित दरवाजे से हो रहा है। इस प्रकार प्रतिवादी बृजेन्द्रसिंह प्र0सा01 द्वारा स्वयं यह स्वीकार किया गया है कि विवादित हवेली में आगे की ओर प्रतिवादीगण निवासरत है एवं पीछे की ओर वादीगण निवासरत हैं तथा यह भी स्वीकार किया गया है कि विवादित हवेली का मुख्य द्वार उत्तर दिशा की तरफ है जिसमें से होकर वादीगण एवं प्रतिवादीगण आवागमन करते हैं। इस प्रकार वादीगण द्वारा उक्त बिन्दु पर प्रस्तुत की गयी साक्ष्य एवं प्रतिवादी बृजेन्द्रसिंह प्र0सा01 की स्वीकारोक्ति से यह प्रमाणित है कि वादीगण भी प्रतिवादीगण के साथ वादग्रस्त हवेली पर काबिज हैं तथा यह भी प्रमाणित है कि वादीगण को वादग्रस्त हवेली का मुख्य द्वार जिसे वादपत्र के साथ संलग्न मानचित्र में जी एवं पी से चिह्नित किया गया है से आवागमन करने का अधिकार प्राप्त है।

14. फलतः उपरोक्त चरणों में की गयी विवेचना से यह प्रमाणित है कि वादी क्रमांक 1 व 2 विवादित हवेली में पंचमसिंह के भाग के तथा वादी क्रमांक 3 लगायत 5 कल्याणसिंह के भाग के आधिपत्यधारी हैं एवं यह भी प्रमाणित है कि वादीगण को वादग्रस्त हवेली में वादपत्र के साथ संलग्न मानचित्र के अनुसार पी स्थान से आवागमन करने का अधिकार प्राप्त है। फलतः उक्त दोनों वादप्रश्न वादीगण के पक्ष में प्रमाणित हैं।

वाद प्रश्न क्रमांक-3, 4 एवं 5

15. साक्ष्य की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए उक्त सभी वादप्रश्नों का निराकरण एक साथ किया जा रहा है।

16. उक्त वादप्रश्नों के संबंध में वादी जवाहरसिंह वा0सा01 ने अपने वादपत्र एवं

शपथपत्र में यह अभिवचनित किया है कि वादीगण विवादित हवेली में पंचमसिंह एवं कल्याणसिंह के हिस्से पर काबिज हैं तथा वादीगण एवं प्रतिवादीगण के निकास का एक ही रास्ता है जिसे वादपत्र के साथ संलग्न मानचित्र में लाल रेखाओं से दर्शाया गया है उक्त रास्ता 15 फुट चौड़ा एवं 60 फुट लंबा है उसी रास्ते से वादीगण एवं प्रतिवादीगण हवेली में प्रवेश करते हैं। हवेली के अंदर प्रवेश का एक ही रास्ता है जिसमें फाटक लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। प्रतिवादी क्रमांक 1 व 2 उक्त रास्ते पर फाटक लगाकर चौक और आंगन के मध्य का भाग अपने एकल आधिपत्य में लेना चाहते हैं। उक्त साक्षी द्वारा यह भी अभिवचनित किया गया है कि वादग्रस्त हवेली में धांधू के कमरे के बगल से जो परनाला बना है उसी परनाले से पूरी हवेली के पानी का निकास होता है एवं प्रतिवादी क्रमांक 1 व 2 ने उक्त भाग पर पत्थर रखकर पानी का निकास बंद कर दिया है तथा अपने भाग के पानी के निकास के लिए एक अलग परनाला बना लिया है। प्रतिपरीक्षण के पद क्रमांक 12 में उक्त साक्षी ने स्वीकार किया है कि चौक में पूर्व में जो परनाला था जिससे पूरी हवेली का पानी निकलता था वह आज भी निकल रहा है इसके तुरंत पश्चात ही उक्त साक्षी ने यह भी व्यक्त किया है कि पहले निकलता था अब नहीं निकलता है प्रतिवादीगण ने उसे बंद कर दिया है। इसी पद क्रमांक में उक्त साक्षी द्वारा यह भी व्यक्त किया गया है कि उक्त परनाले से प्रतिवादी क्रमांक 1 व 2 का पानी आज भी निकल रहा है लेकिन उसका पानी नहीं निकल रहा है पद क्रमांक 13 में उक्त साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि उसके द्वारा प्रथक से जो परनाला बनाया गया है वह नक्शे में चिन्हित नहीं किया गया है।

17. वादी साक्षी हाकिमसिंह वा0सा02, मुन्नीदेवी वा0सा03 एवं राजेन्द्र सिंह वा0सा04 द्वारा वादी के अभिवचनों के समर्थन में साक्ष्य दी गयी है।

18. प्रतिवादी बृजेन्द्रसिंह प्र0सा01 द्वारा वादी के अभिवचनों का खण्डन करते हुए व्यक्त किया गया है कि हवेली के उत्तर दिशा में स्थित मुख्य द्वार 15 फीट का न होकर मात्र 3-4 फीट चौड़ा है तथा यह भी व्यक्त किया है कि पूर्व दिशा की ओर वादीगण का कोई परनाला नहीं है।

19. प्रस्तुत प्रकरण में वादी जवाहरसिंह वा0सा01 द्वारा यह अभिवचनित किया गया है कि विवादित हवेली के मुख्य द्वार का रास्ता 15 फुट चौड़ा एवं 60 फुट लंबा है उसी से हवेली के अंदर प्रवेश किया जाता है। उक्त हिस्से को वादपत्र के साथ संलग्न मानचित्र में लाल रेखाओं से दर्शाया गया है। प्रतिवादी क्रमांक 1 व 2 हवेली के मुख्य द्वार पर फाटक लगाकर वादीगण का आवागमन बाधित करना चाहते हैं। जबकि प्रतिपरीक्षण के पद क्रमांक 11 में उक्त साक्षी द्वारा यह स्वीकार किया गया है कि रास्ता करीब 4-5 फुट का है। वादी साक्षी हाकिमसिंह वा0सा02, मुन्नीदेवी वा0सा03 ने भी अपने प्रतिपरीक्षण के दौरान यह व्यक्त किया है कि हवेली से निकलने का रास्ता वादीगण एवं प्रतिवादीगण का शामिलाली है।

20. इस प्रकार वादी जवाहरसिंह वा0सा01 द्वारा अपने वादपत्र एवं शपथपत्र में यह अभिवचनित किया गया है कि हवेली के उत्तर दिशा में स्थित मुख्य द्वार 15 फुट चौड़ा है जिसमें से होकर वादीगण एवं प्रतिवादीगण निकलते हैं। वादीगण द्वारा अपने वादपत्र के साथ जो मानचित्र पेश किया गया है उसमें भी विवादित हवेली के उत्तर दिशा की तरफ लाल रेखाओं से दर्शित मुख्य द्वार की चौड़ाई 15 फुट अंकित की गयी है। वादी जवाहरसिंह वा0सा01 ने अपने वादपत्र एवं शपथपत्र में हवेली का मुख्य द्वार 15 फुट चौड़ा होना बताया है जबकि प्रतिपरीक्षण के पद क्रमांक 11 में उक्त साक्षी द्वारा यह स्वीकार किया गया है कि उक्त रास्ता करीब 4-5 फुट का है।

प्रतिवादी बृजेन्द्रसिंह प्र0सा01 द्वारा भी अपने प्रतिपरीक्षण के दौरान यह व्यक्त किया गया है कि उसने वादीगण से 4-5 फुट निकलने के लिए कहा था 15 फुट चौड़ा रास्ता देने के लिए मना किया था। इस प्रकार प्रतिवादी बृजेन्द्रसिंह प्र0सा01 ने भी यह स्वीकार किया है कि हवेली के मुख्य द्वार का रास्ता 4-5 फुट का है एवं प्रतिवादी बृजेन्द्रसिंह प्र0सा01 के उक्त कथन से यह भी दर्शित है कि उसके द्वारा उक्त 4-5 फुट चौड़े रास्ते से वादीगण को निकलने में कोई बाधा उत्पन्न नहीं की जा रही है।

21. वादीगण ने अपने वादपत्र एवं शपथपत्र में यह बताया है कि हवेली का मुख्य द्वार जिससे होकर वह एवं प्रतिवादीगण निकलते हैं 15 फुट चौड़ा है वादीगण द्वारा वादपत्र के साथ संलग्न मानचित्र में भी विवादित रास्ता 15 फुट चौड़ा होना दर्शित किया गया है परन्तु वादी जवाहरसिंह वा0सा01 ने अपने प्रतिपरीक्षण के दौरान स्वयं यह स्वीकार किया है कि विवादित रास्ता 4-5 फुट चौड़ा है। इससे स्वतः ही यह दर्शित होता है कि वादीगण द्वारा सत्य को छिपाया गया है एवं वादीगण स्वच्छ हाथों से न्यायालय में नहीं आये हैं।

22. वादीगण द्वारा यह भी अभिवचनित किया है कि प्रतिवादी क्रमांक 1 व 2 ने विवादित हवेली के पूर्व दिशा में स्थित परनाले जिसे वादपत्र के साथ संलग्न मानचित्र में च,छ,ज,झ से चिह्नित किया गया है पर पत्थर रखकर उक्त परनाले को बंद कर दिया गया है परन्तु वादी जवाहरसिंह वा0सा01 ने अपने प्रतिपरीक्षण के पद क्रमांक 12 में पहले तो यह स्वीकार किया है कि जिस तरह से पूर्व में पूरी हवेली का पानी निकलता था वह आज भी निकलता है इसके तुरंत पश्चात ही उक्त साक्षी द्वारा अपने कथनों में सुधार करते हुए यह व्यक्त किया गया है कि पहले पानी निकलता था अब नहीं निकलता है प्रतिवादीगण ने उक्त नाला बंद कर दिया है इसके पश्चात उक्त साक्षी द्वारा यह भी व्यक्त किया गया है कि जिस परनाले को वह बंद करना बता रहा है उस परनाले से प्रतिवादी क्रमांक 1 व 2 का पानी आज भी निकल रहा है लेकिन उनका पानी नहीं निकल रहा है। इस प्रकार वादी जवाहरसिंह वा0सा01 के उक्त कथनों से यह दर्शित है कि वादी जवाहरसिंह अपने परीक्षण के दौरान अपने कथनों पर स्थिर नहीं रहा है उक्त साक्षी द्वारा कभी तो यह बताया गया है कि प्रतिवादीगण ने परनाला बंद कर दिया है कभी यह बताया है कि उक्त परनाले से प्रतिवादी क्रमांक 1 व 2 का पानी निकल रहा है। वादी जवाहरसिंह वा0सा01 द्वारा एक ही समय में एक ही बिन्दु पर भिन्न भिन्न कथन किए गए हैं इसके अतिरिक्त वादी जवाहरसिंह वा0सा01 ने अपने प्रतिपरीक्षण के पद क्रमांक 13 में यह स्वीकार किया है कि उसके द्वारा प्रथम से जो परनाला बनाया गया है वह उसने नक्शे में चिह्नित नहीं किया है। इससे यह भी दर्शित है कि वादीगण द्वारा सही मानचित्र वादपत्र के साथ प्रस्तुत नहीं किया गया है एवं वादीगण द्वारा सत्यता को छिपाया गया है।

23. यहां यह भी उल्लेखनीय है कि वादीगण ने अपने वादपत्र एवं शपथपत्र में यह अभिवचनित किया है कि प्रतिवादी क्रमांक 1 एवं 2 द्वारा परनाले पर पत्थर रखकर परनाला बंद कर दिया गया है जिससे वादीगण के पानी का निकास रुक गया है परन्तु वादी साक्षी हाकिम वा0सा02 द्वारा अपने प्रतिपरीक्षण के पद क्रमांक 9 में यह स्वीकार किया है कि चौक में रोज बर्ताव के पानी एवं वर्षा के पानी के निकास का परनाला पूर्व दिशा में पंचमसिंह एवं धांधूसिंह के भाग के बीच से होकर है और वह आज भी है। प्रतिवादीगण ने परनाले में पानी निकालने के लिए पाइप डाल दिए हैं वादीगण का जो पूर्व का परनाला था परनाला उसी जगह पर चालू है।

इस प्रकार वादी साक्षी हाकिम वा0सा02 द्वारा यह व्यक्त किया गया है कि परनाला चालू है प्रतिवादीगण द्वारा परनाले को बंद नहीं किया गया है। वादी साक्षी मुन्नीदेवी वा0सा03 ने भी अपने प्रतिपरीक्षण के पद क्रमांक 4 में यह व्यक्त किया है कि हवेली में पूर्व से चौक में जो परनाला था वह आज भी है। वादी साक्षी राजेन्द्रसिंह वा0सा04 ने भी अपने प्रतिपरीक्षण के पद क्रमांक 8 में यह स्वीकार किया है कि वर्षात के पानी के निकास का परनाला वादी एवं प्रतिवादीगण के हिस्से के बीच में से होकर गया है एवं उक्त परनाला आज भी है।

24. इस प्रकार वादी साक्षी हाकिमसिंह वा0सा02, मुन्नीदेवी वा0सा03, एवं राजेन्द्रसिंह वा0सा04 द्वारा भी यह स्वीकार किया गया है कि हवेली के पूर्व दिशा में पानी के निकास का जो परनाला है वह वर्तमान में भी चालू है। उक्त वादी साक्षीगण के कथनों से यही प्रकट होता है कि परनाला वर्तमान में चालू है। प्रतिवादी क्रमांक 1 द्वारा उक्त परनाले को बंद नहीं किया गया है एवं वादीगण द्वारा परनाले को बंद करने वाली बात असत्य रूप से बतायी गयी है।

25. प्रस्तुत प्रकरण में वादीगण द्वारा यह अभिवचनित किया गया है कि प्रतिवादी क्रमांक 1 व 2 हवेली के मुख्य द्वार पर फाटक लगाकर हवेली के 15 फुट चौड़े रास्ते पर वादीगण के आवागमन को बाधित करना चाहते हैं परन्तु वादीगण द्वारा ऐसी कोई साक्ष्य अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं की गयी है जिससे यह दर्शित होता हो कि हवेली के मुख्य द्वार का रास्ता 15 फुट चौड़ा है इसके विपरीत वादी जवाहरसिंह वा0सा01 द्वारा स्वयं अपने प्रतिपरीक्षण के दौरान यह स्वीकार किया गया है कि हवेली के मुख्य द्वार का रास्ता 4-5 फुट का है। प्रतिवादी बृजेन्द्रसिंह प्र0सा01 ने भी हवेली का मुख्य द्वार 4-5 फुट चौड़ा होना बताया है। वादीगण द्वारा यह भी अभिवचनित किया गया है कि प्रतिवादी क्रमांक 1 व 2 ने हवेली के पूर्व दिशा में वादपत्र के साथ मानचित्र में च,छ,ज,झ से चिन्हित भाग पर पत्थर रखकर परनाला बंद कर दिया है। परन्तु उक्त बिन्दु पर वादी जवाहरसिंह वा0सा01 के कथन अपने प्रतिपरीक्षण के दौरान अत्यंत विरोधाभासी रहे हैं। अपने प्रतिपरीक्षण के दौरान जवाहरसिंह वा0सा01 द्वारा कभी तो यह व्यक्त किया गया है कि हवेली का पानी पूर्व की भांति वर्तमान में भी निकल रहा है एवं कभी यह व्यक्त किया गया है कि प्रतिवादीगण द्वारा परनाला बंद कर दिया गया है इस प्रकार उक्त बिन्दु पर वादी जवाहरसिंह वा0सा01 के कथन अपने प्रतिपरीक्षण के दौरान अत्यंत विरोधाभासी रहे हैं। वादी साक्षी हाकिमसिंह वा0सा02, मुन्नीदेवी वा0सा03 एवं राजेन्द्रसिंह वा0सा04 ने अपने प्रतिपरीक्षण के दौरान यह व्यक्त किया है कि हवेली के पूर्व दिशा में स्थित परनाला पूर्व की भांति चालू है। इस प्रकार उक्त बिन्दु पर वादी जवाहरसिंह वा0सा01 के कथन की पुष्टि वादी साक्षी हाकिमसिंह वा0सा02, मुन्नीदेवी वा0सा03 एवं राजेन्द्रसिंह वा0सा04 द्वारा भी नहीं की गयी है। प्रकरण में आई साक्ष्य से यही दर्शित होता है कि वादीगण ने प्रतिवादीगण द्वारा आवागमन में बाधा उत्पन्न करने एवं परनाला बंद करने वाली बात असत्य रूप से बतायी है। वादीगण द्वारा सत्यता को छिपाया गया है। वादीगण स्वच्छ हाथों से न्यायालय में नहीं आये हैं। अतः वादीगण साम्या पर आधारित किसी अनुतोष को प्राप्त करने के अधिकारी नहीं हैं।

26. फलतः उपरोक्त चरणों में की गयी विवेचना से यह प्रमाणित नहीं होता है कि प्रतिवादीगण द्वारा वादग्रस्त हवेली में वादीगण का आवागमन अवरुद्ध किया जा रहा है एवं वादग्रस्त हवेली में पानी का निकास रोककर वादीगण को वादग्रस्त हवेली के उपयोग एवं उपभोग में बाधा उत्पन्न की जा रही है। ऐसी स्थिति में वादीगण स्थायी निषेधाज्ञा की सहायता प्राप्त करने के अधिकारी नहीं हैं। फलतः उक्त

वादप्रश्न वादीगण के पक्ष में प्रमाणित नहीं हैं।

वाद प्रश्न क्रमांक-6

27. उक्त विचारणीय प्रश्न के संबंध में प्रतिवादीगण द्वारा यह अभिवचनित किया गया है कि वादीगण द्वारा वाद का मूल्यांकन गलत किया गया है एवं कम न्यायशुल्क अदा किया गया है। जबकि वादीगण द्वारा यह अभिवचनित किया गया है कि उनके द्वारा वाद का मूल्यांकन उचित रूप से कर पर्याप्त न्यायशुल्क अदा किया गया है।

28. प्रकरण के अवलोकन से दर्शित है कि प्रकरण में वादीगण द्वारा स्थायी निषेधाज्ञा हेतु वाद प्रस्तुत किया गया है एवं वादीगण द्वारा वाद का मूल्यांकन पांच सौ रुपये कर स्थायी निषेधाज्ञा हेतु सौ रुपये न्यायशुल्क अदा किया गया है। प्रतिवादीगण द्वारा यह अभिवचनित किया गया है कि वादीगण ने वाद का मूल्यांकन सही नहीं किया है परन्तु प्रतिवादीगण द्वारा उक्त संबंध में कोई साक्ष्य अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं की गयी है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि न्यायालय फीस अधिनियम 1870 की धारा 7 (4) (डी) के अनुसार "व्यादेश अभिप्राप्त करने के वादों में वादी इप्सित अनुतोष की रकम का कथन करेगा।" इस प्रकार उक्त प्रावधान के अनुसार वादी व्यादेश अभिप्राप्त करने के वादों में अपने वाद का मूल्यांकन करने के लिए स्वतंत्र है। प्रस्तुत प्रकरण में वादीगण द्वारा वाद का मूल्यांकन पांच सौ रुपये कर स्थायी निषेधाज्ञा हेतु निर्धारित न्यायशुल्क अदा किया गया है। ऐसी स्थिति में यही दर्शित है कि वादीगण द्वारा वाद का मूल्यांकन उचित रूप से कर पर्याप्त न्यायशुल्क अदा किया गया है। फलतः उक्त वादप्रश्न वादीगण के पक्ष में प्रमाणित है।

सहायता एवं व्यय

29. समग्र अवलोकन से वादीगण यह प्रमाणित करने में असफल रहे हैं कि प्रतिवादीगण द्वारा वादग्रस्त हवेली में वादीगण का आवागमन अवरुद्ध किया जा रहा है एवं यह भी प्रमाणित करने में असफल रहे हैं कि प्रतिवादीगण द्वारा वादग्रस्त हवेली में पानी का निकास रोककर वादीगण के उपयोग एवं उपभोग में बाधा उत्पन्न की जा रही है। वादीगण वाद प्रमाणित करने में असफल रहे हैं। अतः प्रस्तुत वाद निरस्त किया जाता है।

30. वाद का सम्पूर्ण व्यय वादीगण द्वारा वहन किया जायेगा।

31. अधिवक्ता शुल्क प्रमाणित होने पर अथवा सूची अनुसार जो भी न्यून हों देय होगा।

तदनुसार जयपत्र निर्मित किया जावें।

स्थान – गोहद

दिनांक – 27-09-2017

निर्णय हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर,
खुले न्यायालय में घोषित किया गया
सही/-

(प्रतिष्ठा अवस्थी)

अतिव्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1
गोहद जिला भिण्ड (म0प्र0)

मेरे निर्देशन पर टाईप किया गया
सही/-

(प्रतिष्ठा अवस्थी)

अतिव्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1
गोहद जिला भिण्ड (म0प्र0)